राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग

"छात्रसंघ सामान्य निर्वाचन 2025-26"

समय – अपराह्न

दिनांक -20-09-2025

पत्रांक...546.... / छात्रसंघ/2025 – 26

अधिसूचना

प्राचार्य एवं संरक्षक छात्रसंघ से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए छात्रसंघ गठन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा करता हूँ।

क०सं०	जिस पद पर चुनाव होने हैं	संख्या	नामांकन प्रपत्र शुल्क रूपये	नामांकन शुल्क रूपये
1	अध्यक्ष	01	150.00	1200.00
2	उपाध्यक्ष	01	150.00	1000.00
3	सचिव	01	150.00	1000.00
4	सह-सचिव (आरक्षित छात्राओं हेतु)	01	150.00	600.00
5	कोषाध्यक्ष (आरक्षित छात्राओं हेतु)	01	150.00	600.00
6	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू० आर०)	01	150.00	600.00

नोट: कार्यकारिणी सदस्य 06 नामित/नामांकित किये जायेंगे।

नोट: किसी भी परिस्थिति में जमा नामांकन प्रपत्र शुल्क और नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी
रा० स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि जनपद –रुद्रप्रयाग

पत्रांक 546 / छात्रसंघ / 2025 – 26 दिनांक 20/09/2025

अधिसूचना : छात्र संघ चुनाव (2025-26)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग के समस्त नियमित (संस्थागत) छात्र – छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2025–26 का कार्यक्रम निमन्वत निर्धारित किया जाता है ।

क्रम सं.	चुनाव कार्यक्रम विवरण	दिनांक/समय/स्थान
1.	अधिसूचना जारी करने की तिथि	20.09.2025 अपराह्न 05 :00 बजे
2.	प्रपत्रों की बिक्री	22.09. 2025 , पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
3.	नामांकन तिथि	2 3.09.2025 , पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
4.	नामांकन वापसी की तिथि	24.09.2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक
5.	नामांकन पत्रों की जांच	24.09.2025, अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
6.	प्रत्याशियों के वैध सूची का प्रकाशन/ घोषणा	24.09.2025, अपराह्न 03:00 बजे
7.	मतदान	27.09.2025, पूर्वाह्न 08:00 ` से अपराह्न 01:00 बजे तक
8.	मतगणना	27 .09.2025, अपराह्न 02:00 बजे से
9.	परिणामों की घोषणा	27.09.2025, मतगणना पूर्ण होने के बाद
10.	निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण	27.09.2025, परिणाम घोषणा के तुरंत बाद

प्रभारी छात्रसंघ
रा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि जनपद – रुद्रप्रयाग

अर्हताएं (Eligibility)

1. प्रत्याशी महाविद्यालय का **पूर्णकालिक विद्यार्थी** होना चाहिए और उसे **दूरस्थ/व्यक्तिगत शिक्षा** का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी अर्ह प्रत्याशियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।
2. **स्नातक स्तर** के छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु **17 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए एवं **स्नातकोत्तर कक्षा** के प्रत्याशी हेतु **न्यूनतम 17 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए। आयु की **गणना 01 जुलाई 2025 को मानक तिथि** मानकर की जायेगी।
3. यद्यपि चुनाव लड़ने के लिए **न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं** है तथापि किसी भी दशा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी/ विद्यार्थी के वर्ष में **शैक्षणिक अवशेष** (किसी भी शैक्षणिक सत्र अथवा **सेमेस्टर में बैक पेपर** नहीं होना) नहीं होने चाहिए।
4. कतिपय छात्र – छात्राओं द्वारा छात्र संघ चुनाव हेतु **विगत सत्र में बैक अथवा अनुत्तीर्ण होने के कारण पुनः संबंधित संकाय परिवर्तन एवं विषय परिवर्तन कर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में एन० ई० पी० 2020 के तहत प्रवेश लिया गया हो ऐसे छात्र – छात्राओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया कि वे छात्र संघ चुनाव लड़ने हेतु सत्र 2025 – 26 हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे।**
5. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी के द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. प्रत्याशी के पास महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के के रूप में चुनाव लड़ने का **मात्र एक अवसर** होगा। **कार्यकारी सदस्य** के रूप में चुनाव में प्रतिभाग करने के **दो अवसर** मिलेंगे।
7. प्रत्याशी का पूर्व का कोई **आपराधिक रिकार्ड** नहीं होना चाहिए अर्थात् उसका किसी भी प्रकार के अपराध के लिए विचारण और / अथवा दोषसिद्धि न हुई हो। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्याशी के विरुद्ध कोई **अनुशासनात्मक** कार्यवाही भी की गई नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रत्याशी द्वारा परिशिष्ट – 2 में उल्लेखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। **विचारण** का अर्थ यह है कि संबंधित कार्यवाही आरोपित अपराधी अपराधी के विरुद्ध **एफ० आई० आर०, अन्वेषण एवं पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र** के पश्चात् आरोपित अपराधी द्वारा दोष की स्वीकारोक्ति अथवा दोषी होने से इन्कार करने के उपरांत प्रारंभ हुई हो, परंतु यह न्यायालय के निर्णय से पहले की अवस्था हो।

प्राचार्य / संरक्षक
छात्र संघ
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनी , रुद्रप्रयाग
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि जनपद –रुद्रप्रयाग

20/9/2025
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
छात्र संघ
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनी , रुद्रप्रयाग